



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032022-234449
CG-DL-E-28032022-234449

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1260]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 24, 2022/चैत्र 3, 1944

No. 1260]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 24, 2022/CHAITRA 3, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2022

का.आ. 1302(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा बिहार राज्य के सारण जिले में NH19 के कि.मी. 133.085 से NH-85 के कि.मी. 3.435 (जिला समाहर्ता कार्यालय, सारण समाहरणालय, छपरा) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन, बाईपास और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "28 दिसंबर, 2021 " को "दैनिक भास्कर" और "टाइम्स ऑफ़ इंडिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

बिहार राज्य के सारण जिले में NH19 के कि.मी. 133.085 से NH-85 के कि.मी. 3.435 (जिला भू - अर्जन कार्यालय, सारण समाहरणालय, छपरा) तक के भू-खण्ड में बाईपास निर्माण के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: बिहार			जिले का नाम: सारण		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: रेवेलगंज				
	गांव का नाम: जिगना				
1	1357	निजी	कृषि	0.0405	अलख देव सिंह वगैरह (1357)
2	1358	निजी	कृषि	0.0486	गया सिंह वगैरह (1358)
3	1366	निजी	कृषि	0.0648	रामधारी सिंह वगैरह (1366)
4	1367	निजी	कृषि	0.0411	रामहित सिंह वगैरह (1367)
5	1368	निजी	कृषि	0.002	रामबृक्ष सिंह वगैरह (1368)
6	1371	निजी	कृषि	0.0654	जंगी लाल वगैरह (1371)
7	1391	निजी	कृषि	0.031185	मुन्नी लाल कोईरी वगैरह (1391)
8	1394	निजी	कृषि	0.002	रामलखन सिंह वगैरह (1394)
9	1395	निजी	कृषि	0.02	रामचरण सिंह वगैरह (1395)
10	1398	निजी	कृषि	0.32805	धर्मदेव सिंह वगैरह (1398)

11	1399	निजी	कृषि	0.03726	रामदेवी सिन् अन्ड अदर्ज (1399)
12	1400	निजी	कृषि	0.07614	बाबू नरेन्द्र नाथ मुखर्जी वगैरह (1400)
13	1401	निजी	कृषि	0.48345	राम अवतार कोईरी वगैरह (1401)
14	1401	निजी	आवासीय	0.039	राम अवतार कोईरी वगैरह (1401)
15	1402	निजी	कृषि	0.0105	अज्ञात (1402)
			कुल	1.289985	

[फा. सं. RW/PAT/NH-19/Km. 139.85 – Km. 129/LA/2020-21/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2022

S.O. 1302(E). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of Bypass connecting in the stretch of land from Km 133.085 of NH-19 to Km 3.435 of NH-85 (District Magistrate office , Saran , Chapra) in the district of SARAN in the state of BIHAR.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Danik Bhasker” and “*Times of India*” both dated 28 December, 2021 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH19 in the stretch of land from Km 133.085 of NH-19 to Km 3.435 of NH-85 (District Magistrate office , Saran , Chapra) in the district of SARAN in the state of BIHAR.

State: BIHAR		District: SARAN			
Sr. NO.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Revelganj				
	Village: Jigna				
1	1357	Private	Agriculture	0.0405	Alakh Dev Singh and other 1357
2	1358	Private	Agriculture	0.0486	Gaya Singh and others 1358
3	1366	Private	Agriculture	0.0648	Ramdhari Singh and other 1366
4	1367	Private	Agriculture	0.0411	Ramhit Singh and others 1367
5	1368	Private	Agriculture	0.002	Rambriksh Singh and other 1368
6	1371	Private	Agriculture	0.0654	Jangi Lal and others 1371
7	1391	Private	Agriculture	0.031185	Munni lal Koiri 1391
8	1394	Private	Agriculture	0.002	Ram Lakhan Singh and others 1394
9	1395	Private	Agriculture	0.02	Ram Charan Singh and others 1395
10	1398	Private	Agriculture	0.32805	Dharamdev Singh and others 1398
11	1399	Private	Agriculture	0.03726	Ramdeni Singh and others 1399
12	1400	Private	Agriculture	0.07614	Babu Narendranath Mukharjee and others 1400
13	1401	Private	Agriculture	0.48345	Ram Awtar Koiri and others 1401
14	1401	Private	Residential	0.039	Ram Awtar Koiri and others 1401

15	1402	Private	Agriculture	0.0105	Unknown 1402
			TOTAL	1.289985	

[F. No. RW/PAT/NH-19/Km. 139.85 – Km. 129/LA/2020-21/3D]

RAJESH GUPTA, Director